

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या - 21/2020

पीठासीन अधिकारी - अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

अनवान

- 1 अमित सिंह पिता महावीर सिंह महाजन उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फुलियाकलां हाल मुकाम विजयनगर तहसील विजयनगर जिला अजमेर राज.
- 2 अर्जना पुत्री महावीर सिंह महाजन उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फुलियाकलां हाल मुकाम विजयनगर तहसील विजयनगर जिला अजमेर राज.
- 3 चैना पुत्री महावीर सिंह महाजन उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फुलियाकलां हाल मुकाम विजयनगर तहसील विजयनगर जिला अजमेर राज.
- 4 विजयसिंह पिता महावीर सिंह महाजन उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फुलियाकलां हाल मुकाम विजयनगर तहसील विजयनगर जिला अजमेर राज.
- 5 शिमला पत्नि स्व. महावीर सिंह महाजन उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फुलियाकलां हाल मुकाम विजयनगर तहसील विजयनगर जिला अजमेर राज.

वनाम

----- (प्रार्थीगण)

- 1 भागचन्द पिता प्रेमचन्द नाबेडा महाजन उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
- 2 भैरू पिता हरदेव बैरवा उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
- 3 छीतर पिता भज्जा बैरवा उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
- 4 हीरा पिता रामा बैरवा उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
- 5 गोपाल पिता रामा बैरवा उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.

----- (अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री सुनिल कुमार शर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 10.03.2021

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 25.02.2020 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम अरवड पटवार मण्डल अरवड भूअ.नि. अरवड तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 377 के आ.न. 970, 971, 972, 973, 974, 975, 989 किता 7 रकबा 2.88 हैक्टर भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 26.02.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई दिनांक 24.02.2021 पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।



उपखण्ड अधिकारी

फुलियाकलां (भीलवाड़ा) राज.

(2)  
आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम अरवड पटवार मण्डल अरवड भू.अ.नि. अरवड तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 377 के आ.न. 970, 971, 972, 973, 974, 975, 989 किता 7 रकबा 2.88 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक अरवड को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अमित कुमार वर्मा)

उपखण्ड अधिकारी  
फुलियाकंला, जिला भीलवाडा  
फुलियाकंला (भीलवाडा) राज